

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

**DEFENCE R&D ORGANISATION** 

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

**GOVERNMENT OF INDIA** 

MINISTRY OF DEFENCE

मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037

MARATHAHALLI COLONY P.O

**BENGALURU - 560 037** 

वर्ग अनुमोदन सं.: 1930 / Type Approval No.: 1930

मद/FOR ITEM: रेडियो अल्टीमीटर (आरएएम) डिजिटल इंडिकेटर (डीआई) 1734 ए.

पार्ट सं.: एन165110/

Radio Altimeter (RAM) Digital Indicator (DI) 1735 A, Part No.: N165110

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रोनिक्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (एस एल आर डी सी), रडार प्रभाग, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बालानगर, हैदराबाद-500 042 द्वारा अभिकल्पित और विकसित तथा एवियोनिक्स प्रभाग, मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, बालानगर, हैदराबाद- 500 042, द्वारा उत्पादित, " रेडियो अल्टीमीटर (आरएएम) डिजिटल इंडिकेटर (डीआई) 1735ए ", पार्ट सं. एन165110, को मास्टर आरेखन इंडेक्स (एमडीआई) सं. 165110डीएल रिविज़न सं.0, इश्यू सं.02, दिनांकः 11 मार्च 2015 के अनुसार मिग-23 यूबी वायुयान में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (हैदराबाद) द्वारा उल्लिखित तकनीकी विनिर्देश रिपोर्ट सं. एसएलआरडीसी (एचएएल)/एमआईजी 23 यूबी/डिजिटल इंडिकेटर/एन165110\_टीएस, इश्यू सं. 001, दिनांक जनवरी 2014 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "Radio Altimeter (RAM) Digital Indicator (DI) 1735 A", bearing the Part No.: N165110 designed and developed by Strategic Electronics Research & Design Centre (SLRDC), Radar Division, M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Balanagar, Hyderabad–500 042 and manufactured by Avionics Division, M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Balanagar, Hyderabad–500 042 is hereby approved as per Master Drawing Index (MDI) Doc No.: 165110DL, Revision No.:0, Issue No.: 2, dated: 11th March 2015 for use in MiG 23 UB aircraft. It has been tested as per Technical Specification Report No.: SLRDC (HAL) /MiG 23 UB/DIGITAL INDICATOR /N165110\_TS, Issue No.: 001, dated: January 2014 as outlined by RCMA (Hyderabad). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

ਪ੍ਰਬ / Page 01 of 02

ਧੂਬ / Page 02 of 02 टी ए सं./ TA No. 1930

इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

यह वर्ग अनुमोदन 30 नवंबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30th November 2022 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Hyderabad), for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

अगर इस संलग्न टाइप रिकोर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र **(सेमिलैक)**, बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency.

यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.

संलग्न / Encl : परिशिष्ट 'ए'/ Appendix 'A' सं. / No.: सेमिलेक / CEMILAC / 5070 / टी.ए / TA-1930

दिनांक / Date : 🏖 🗗 November 2017

फैक्स सं. / Fax No: 080-25230856

मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता) **Chief Executive (Airworthiness)**